तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6537/2006/अलवर श्रीमती मुन्नीदेवी बनाम सतपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित** श्री अविनाश माथुर, अधिवक्ता, प्रार्थीगण श्री अजीत लोढा, अधिवक्ता अप्रार्थीगण **निर्णय** **दिनांक 02.11.2018** प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, कोटकासिम द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-09-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। आलोच्य आदेशानुसार उपखण्ड अधिकारी ने अप्रार्थीगण प्रतिवादी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी को स्वीकार कर पश्चातवर्ती वाद संख्या 14/2004 की कार्यवाही को स्थगित किया है। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन दोनों दावों में पक्षकारों ने जो अनुतोष चाहा था वह अलग अलग था। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में केवल खसरा नम्बर 685 रकबा 09बीघा 17बिस्वा में से 1/2 हिस्से के बाबत् इन्द्राज करने व बंटवारा कर कब्जा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6537/2006/अलवर श्रीमती मुन्नीदेवी बनाम सतपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिये जाने का अनुतोष मांगा था जबकि अप्रार्थीगण प्रतिवादीगण ने खसरा नम्बर 685 सहित अन्य खसरा नम्बरान में से 1/8 हिस्से की घोषणा चाही थी। ऐसी स्थिति में धारा 10 जाप्ता दीवानी के प्रार्थनापत्र को स्वीकार कर उनके पक्षकार की ओर से प्रस्तुत पश्चात्वर्ती वाद की कार्यवाही को स्थगित किया जाना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि प्रार्थीगण ने आराजी खसरा नम्बर 685 के 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण के पूर्वज बिशम्भर से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 31-3-1997 से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है। इसके उपरान्त विक्रेता के उत्तराधिकारियों ने षडयन्त्र रचकर प्रार्थीगण को क्षति पहुंचाने की नियत से दावा पेश किया जिसमें प्रार्थीगण को पक्षकार नहीं बनाया गया। प्रार्थीगण उक्त वाद में पक्षकार बनाये जाने के प्रार्थनापत्र के माध्यम से पक्षकार संयोजित किये गये। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया गया है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय को धारा 55 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार विचारण न्यायालय को दावे में जवाबदावा लेने के बाद वह दोनों दावों को कन्सोलिडेट करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध कर विधिसम्मत् निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार कर निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जावे। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपने कथनों के समर्थन में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6537/2006/अलवर श्रीमती मुन्नीदेवी बनाम सतपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2005 आरबीजे एससी पेज 201, 2015 आरबीजे पेज 48, 2011 आरबीजे पेज 90, 2013 डीएनजे III राज. पेज 1262 एवं 2004 आरबीजे पेज 23 पर उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये। इसके विपरीत योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत् निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन पूर्ववर्ती वाद एवं प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पश्चात्वर्ती वाद में विवादित आराजी समान है एवं चाहा गया अनुतोष भी समान होने से विचारण न्यायालय ने पश्चात्वर्ती वाद को की कार्यवाही को स्थगित किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता नहीं है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली एवं पारित निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण की ओर से विवादित आराजी बाबत् घोषणा का नियमित वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद प्रस्तुत करते समय प्रार्थीगण को उक्त पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया। तत्पश्चात् प्रार्थीगण की ओर से उक्त पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार बनाये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त उन्हें पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार संयोजित किया गया। तत्पश्चात् प्रार्थीगण ने विचारण न्यायालय के समक्ष केवल खसरा नम्बर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6537/2006/अलवर श्रीमती मुन्नीदेवी बनाम सतपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	685 रकबा 09बीघा 17बिस्वा में से 1/2 हिस्से के बाबत् इन्द्राज करने व बंटवारा कर कब्जा दिये जाने का अनुतोष मांगा था। इस प्रकार विचारण न्यायालय के समक्ष विचाराधीन दोनों दावों में वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष भिन्न भिन्न है। योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टान्तों 2005 आरबीजे एससी पेज 201 एवं 2015 आरबीजे एचसी पेज 48 में इसी आशय का मूलभूत सिद्धान्त प्रतिपादित है कि दोनों दावों में चाहा गया अनुतोष भिन्न-भिन्न हो तो पश्चात्वर्ती वाद की कार्यवाही को स्थगित नहीं किया जा सकता। उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत प्रकरण में धारा 10 जाप्ता दीवानी के प्रावधान लागू नहीं होते है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पूर्ववर्ती वाद में खसरा नम्बर 685 सहित अन्य खसरा नम्बरान में से 1/8 हिस्से की घोषणा चाही थी तथा वादीगण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पश्चात्वर्ती वाद में केवल मात्र एक खसरा नम्बर 685 में निहित 1/2 हिस्से की घोषणा व बंटवारे का अनुतोष चाहा गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय को धारा 55 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अनुसार दोनों दावे में जवाबदावा लेने के बाद वह दोनों दावों को कन्सोलिडेट करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयात कायम करने के उपरान्त उभयपक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध की जानी चाहिए। इसी आशय का सिद्धान्त 2013 डीएनजे III राज. पेज 1262 एवं 2004 आरबीजे पेज 23 पर प्रतिपादित किया गया है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/टीए/6537/2006/अलवर श्रीमती मुन्नीदेवी बनाम सतपाल	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	परिणामतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन आदेश दिनांक 14-09-2006 निरस्त किया जाता है एवं विचारण न्यायालय के समक्ष अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 10 जाप्ता दीवानी का निरस्त किया जाता है तथा विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उनके समक्ष विचाराधीन दोनों दावों को समेकित (कन्सोलिडेट) कर तनकीयात कायम करने के उपरान्त प्रावधित प्रक्रिया अनुसार अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जावें। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(मोहन लाल नेहरा)** **सदस्य**	